अधिसूचना संख्या 180/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी. कॉम)]/एसओ 1967(ई), दिनांक 20-7-2015

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एसओ 388 (ई) दिनांक 19 मई, 1997 द्वारा, केंद्रीय सरकार ने क्रम संख्या 25 पर, "विकलांग बच्चों के माता-पिता संघ, प्लॉट नंबर के (प्लॉट नंबर 13 के पीछे), संस्थागत सेक्टर -5, द्वारका, नई दिल्ली - 110045" द्वारा "स्पैस्टिक्स के लिए घर का निर्माण, सहायता / अनुप्रयोग / उपकरण, वैन, फर्निशिंग और संचालन" को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित किया था, जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ.290(ई) दिनांक 28 मार्च, 2001 के तहत कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, जिसे आगे अधिसूचना संख्या एस.ओ.224(ई) दिनांक 23 फरवरी, 2004 के तहत कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, जिसे आगे अधिसूचना संख्या एस.ओ.1802(ई) दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 के तहत वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2607(ई) दिनांक 14 अक्टूबर, 2009 के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था और जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2415(ई) दिनांक 9 अक्टूबर, 2012 के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारंभ होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के अठारह वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या योजना का क्रियान्वयन उचित रूप से किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उपनियम (5) के अधीन उक्त परियोजना या योजना को तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाने के लिए एक और सिफारिश की है;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, एतद्द्वारा, "स्पास्टिक्स के लिए गृह का निर्माण, सहायता / अनुप्रयोग / उपकरण, वैन, साज-सज्जा और संचालन" योजना या परियोजना को अधिसूचित करती है, जिसे "विकलांग बालक अभिभावक संघ, प्लॉट संख्या के (प्लॉट संख्या 13 के पीछे), संस्थागत सेक्टर-5, द्वारका, नई दिल्ली - 110045" द्वारा स्वीकृत लागत 245.00 लाख रुपये में किसी भी परिवर्तन के बिना, 100.00 लाख रुपये की एक कोष निधि सहित, वित्तीय वर्ष 2015-16 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि *अर्थात* 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए पात्र परियोजना या योजना के रूप में चलाया जा रहा है।

■■